उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-2/1080/58-2-2013-10/2012टी0सी0-1

लखनऊः दिनांक- 06 दिसम्बर, 2013

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

श्री राज्यपाल उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत रू0-10.00 लाख धनराशि से अधिक का अनुदान/रियायतों के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी का गठन निम्नानुसार किये जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं :-

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
3.	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भातर सरकार से नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा नामित प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो)	-	सदस्य
12.	प्रबन्ध निदेशक, पिकप अथवा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
13.	एस0एल0बी0सी0 (स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी) के द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
14.	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु	-	सदस्य
15.	निदेशक, सी0एफ0टी0आर0आई0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
16.	डीन, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	-	सदस्य
17.	निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0	-	सदस्य/सचिव

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा रियायतों की प्रगति से नियमित आधार पर स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत कर अवगत करायेगी ।

3- उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत अनुदानों/रियायतों के स्वीकृति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(कैलाश प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-2/1080/(1)/58-2-2013, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

{1} कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन
{2} प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन
(3) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भातर सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली- 110049
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
(9) प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन
(10) प्रमुख सचिव/सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन
(11) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
(12) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, लखनऊ
(13) एस0एल0बी0सी0 (स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी)
(14) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ
(15) निदेशक, सी0एफ0टी0आर0आई0, लखनऊ
(16) डीन, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
(17) निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0
(18) गार्डफाईल

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in